न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/07/2021	02–02–2021	08–02–2021

01–विनय कुमार पुत्र स्व0 श्री दलीप सिंह जाति अहीर नंगली मुंशी तहसील व जिला अलवर हाल निवासी मकान नम्बर 46 प्रताप नगर तिजारा फाटक अलवर। अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार अलवर जिला अलवर।
2–शकुन्ता पत्नि स्व0 श्रीह दलीप सिंह
3–प्रवीण कुमार नाबालिंग पुत्र श्री दलीप सिंह जरिये सरपरस्त माता शकुन्तला जाति अहीर निवासी ग्राम नंगली मुंशी तहसील व जिला अलवर हाल निवासी मकान नम्बर 46 प्रताप नगर तिजारा फाटक अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक 10.06.2015 नामान्तकरण संख्या 86 ग्राम नंगली मुंशी तहसील अलवर।

उपस्थित :–

01. श्री मुनी राम यादव –वकील अपीलाण्ट
02. श्री दीपक मीना –राजकीय अधिवक्ता रेस्पा0 सं01
03. रेस्पा0 सं0 2 व 3

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 10–06–2015 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 86 वाके ग्राम नंगली मुंशी तहसील अलवर में अपीलाण्ट का नाम गलत रूप से इन्द्राज किया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहरते हुऐ निवेदन किया कि अपीलीय इंतकाल में वर्णित आराजी पर दिलीप सिंह पुत्र जोधाराम जाति अहीर अपने हिस्से का अभिलिखित खातेदारी काश्तकार था–जिसका स्वर्गवास हो चुका है। विरासत का इंतकाल दर्ज करते समय पटवारी हल्का व तहसीलदार ने वारिसान के नामों की सही प्रकार से जांच नहीं की गई। अपीलान्ट का नाम विनय कुमार पुत्र दलीपसिंह है और मेरे पहचान सम्बन्धी समस्त दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज आदि में मेरा नाम विनय कुमार पुत्र दलीप सिंह दर्ज है और मुझ को इसी नाम से जाना पहचाना जाता है। अपीलीय इंतकाल दर्ज व स्वीकार करते समय विनय कुमार पुत्र दलीप सिंह के बजाय गलती से पवन कुमार पुत्र दलीप कुमार दर्ज व

जिला कलक्टर, अलवर

स्वीकार कर दिया गया। अपीलीय इंतकाल के कायम रहने से अपीलान्ट के अधिकारों पर विपरीत असर पडता है। पवन कुमार पुत्र दलीप सिंह नाम दर्ज किया गया है उसे कलमजन कर उसके बजाय विनय कुमार पुत्र दलीप सिंह दर्ज कराया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। तहत अदालत ने अपीलीय इंतकाल का मिलान सही प्रकार से नहीं किया गया है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश खिलाफ तथ्य कानून मौका राजस्व रिकार्ड प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के नियमों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रावधानों के विपरीत पारित किया है, इसलिये विवादित आज्ञा को अपीलान्ट के नाम सही करने की हद तक निरस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 03–04–2017 को पटवारी हल्का के पास राजस्व रिकार्ड की नकल लेने गया तो जानकारी हुई और दिनांक 03–04–2017 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कि और दिनांक 03–04–2017 को प्रमाणित प्रति के माध्यम से हुई जिस पर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि अपील मियाद बहार पेश की गई है अपीलान्ट ने अपील जाबूझकर विलम्ब से पेश की है तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नही किया जबकि विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन–प्रतिदिन का कारण स्पस्ट करना होता है। नाम दुरूस्ती के लिए सक्षम न्यायालय में वाद करना चाहिऐं। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बहार व सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

रेस्पा0 संख्या 2 व 3 के द्वारा इकबाल अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने में हम रेस्पा0 को कोई ऐतराज नही है और ना भविष्य में होगा।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील अपीलीय आदेश दिनांक 10–06–2015 के विरूद्ध दिनांक 17–04–2017 को इस न्यायालय में पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में दर्ज तथ्यों तथा अपीलान्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुऐ विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि विरासत का इंतकाल दर्ज करते समय पटवारी हल्का व तहसीलदार ने वारिसान के नामों की सही प्रकार से जांच नहीं की गई। अपीलान्ट का नाम विनय कुमार पुत्र दलीपसिंह है और मेरे पहचान सम्बन्धी समस्त दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज आदि में मेरा नाम विनय कुमार पुत्र दलीप सिंह दर्ज है और मुझ को इसी नाम से जाना पहचाना जाता है। अपीलीय इंतकाल दर्ज व

जिला कलक्टर, अलवर

स्वीकार करते समय विनय कुमार पुत्र दलीप सिंह के बजाय गलती से पवन कुमार पुत्र दलीप कुमार दर्ज व स्वीकार कर दिया गया। अपीलीय इंतकाल के कायम रहने से अपीलान्ट के अधिकारों पर विपरीत असर पडता है। अपीलीय आदेश का अवलोकन किया तहत अदालत ने दलीप सिंह पुत्र जोधाराम के वारिसान की विस्तृत जांच किये बिना ही अपीलीय इंतकाल दर्ज व स्वीकार कर लिया जो उचित प्रतीत नहीं होता। मृतक के वारिसान की विस्तृत जांच किये बिना एवं वारिसान को बिना सुने अपीलीय आदेश पारित करना विधिक अनुरूप उचित नहीं समझतें है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रिमान्ड किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 10–06–2015 बाबत नामान्तरण संख्या–86 ग्राम नंगली मुंशी तहसील अलवर पवन कुमार के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है, तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार अलवर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक दलीप सिंह पुत्र जोधाराम ग्राम नंगली मुशी के वास्तविक वारिसान की जांच कर व वारिसान की सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर कर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08–02–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर